**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1013/2016

1. Reeta Singh W/o Late Shri V.S. Singh, R/o 20A, Heera Bagh, Police Station Moti Doongri, Jaipur
2. Smt. Ekta Singh D/o Late Shri V.S. Singh, R/o A-16, Pawan Vihar, Jagatpura, Jaipur

----Appellants

Versus

1. Deen Dayal Pal S/o Shri Radhey Shyam Pal, R/o Sf-2, Gayatri Nagar, Ward No. 14, Police Station Shipra Path, District Jaipur (Driver And Owner Car No. RJ-14-CM-1341)
2. National Insurance Company Limited, Through Manager, M.I. Road, Jaipur.

----Respondents

3. Smt. Ankita D/o Late Shri V.s. Singh W/o Shri Aren William Matcaf, R/o Unit No. 707, 27, Hill Road, West Worth Pilet Nsw 2127
4. Shri Uma Shankar Singh S/o Late Shri Ramkare Singh, R/o Village And Post Tejpura, P.o. Indore, District Ghazipur, U.P.

----Proforma Respondents

---

| | | |
|---|---|---|
| For Appellant(s) | : | Mr. K.N. Tiwari |
| For Respondent(s) | : | Mr. Ram Singh Bhati |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**

**Order**

**31/10/2023**

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–1, जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–209/2013, श्रीमती रीता सिंह व अन्य बनाम दीनदयाल पाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2015 (जिसे आगे

'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा अधिकरण के समक्ष, वी.एस. सिंह की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याचीगण को कुल 61,65,400/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि वक्त घटना मृतक 57 वर्ष की आयु का व्यक्ति था जो आई.ए.एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर के पद कार्यरत था, जिसे प्रतिमाह 2,00,000/– रुपये वेतन मिलता था। जिसके संबंध में मृतक की पत्नी द्वारा मृतक का वेतन प्रमाण–पत्र प्रदर्श–26 प्रस्तुत किया गया था। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर मृतक की मासिक आय 1,12,600/– रुपये निर्धारित कर त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का एक तर्क यह भी रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 50 प्रतिशत की कटौती की जाकर गंभीर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की आय में कोई भविष्य–वृद्धि लागू नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का एक तर्क यह भी रहा है कि अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई है तथा क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज भी बहुत कम दिलवाया गया है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की ओर से अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. यह अपील, अपीलार्थीगण की ओर से अधिकरण द्वारा दिलवाई गयी क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. अपील पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 03.12.2012 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक 57 वर्ष की आयु का व्यक्ति था जो अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत था, जिसे प्रतिमाह 2,00,000/– रुपये वेतन मिलता था। मृतक की आय को साबित करने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा मृतक का वेतन प्रमाण–पत्र प्रदर्श–26 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसार मृतक को मूल वेतन 80,000/– रुपये व महंगाई भत्ता 57,600/– रुपये, कुल 1,37,600/– रुपये वेतन मिलता था। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय मृतक के वेतन प्रमाण–पत्र प्रदर्श–26 के अनुसार उसकी मासिक आय 1,37,600/– रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय में भविष्य में होने वाली आय की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वक्त घटना मृतक को 57 वर्ष की आयु का वेतन भोगी व्यक्ति होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 1,37,600/– रुपये में भविष्य में होने वाली आय की मद में 15 प्रतिशत अर्थात 20,640/– रुपये की बढ़ोतरी किया जाना उचित प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त 15 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 1,58,240/– रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. वक्त घटना मृतक पर कुल चार आश्रित होना बताया गया है। जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की पत्नी तथा अपीलार्थी संख्या–2 व प्रोफार्मा

रेस्पोंडेंट संख्या–3 मृतक की पुत्रियां है व प्रोफार्मा रेस्पोंडेंट संख्या–4 मृतक के पिता हैं। अपीलार्थी संख्या–2 श्रीमती एकता सिंह व प्रोफार्मा रेस्पोंडेंट संख्या–3 श्रीमती अंकिता सिंह मृतक की विवाहिता पुत्रियां हैं, जिन्हें किसी प्रकार से मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित था। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गयी है, जिसे संशोधित किया जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार 1,58,240/– रुपये का 1/3 भाग 52,747/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 1,05,493/– रुपये होती है। क्लेम याचिका में मृतक को 57 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। मृतक के पासपोर्ट प्रदर्श–27 में उसकी जन्मतिथि 25.07.1955 अंकित की गई है। जिसके अनुसार मृतक की वक्त घटना आयु 57 वर्ष 5 माह होती है। ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को 57 से 60 के मध्य की आयु का होना माना गया है। जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्यः (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर वक्त घटना मृतक को 57 से 60 वर्ष के मध्य का माना जाकर 9 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 9 का गुणक प्रयोग किया गया है जो उचित प्रकट होता है।

9. तद्नुसार मृतक की निर्धारित आय 1,05,493/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 1,05,493 x 12 x 9 = 1,13,93,244/– रुपये होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. अधिकरण द्वारा मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को पति के सुख से वंचित होने की मद में 25,000/– रुपये तथा मृतक की विवाहित पुत्रियों को पिता के सुख से वंचित होने की मद में प्रत्येक को 25–25 हजार रूपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य : (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य : (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये तथा मृतक की पुत्री अपीलार्थी संख्या–2 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये (कुल 80,000/– रुपये) की राशि दिलवाया उचित समझते हैं। चूंकि हस्तगत मामले में दौराने विचारण मृतक के पिता प्रोफार्मा रेस्पोंडेंट संख्या–4 उमा शंकर की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक की पुत्री श्रीमती अंकिता को प्रोफार्मा रेस्पोंडेंट के रूप में पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रोफार्मा रेस्पोंडेंट संख्या–3 व 4 कंसोर्टियम की मद में कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं।

11. अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 10,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है जो कि अत्यधिक न्यून है। अतः इस मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अुनसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः इस मद में भी हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अुनसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

| क्रम सं. | शीर्ष/मद | अधिकरण द्वारा दिलवाई गयी राशि | इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | आश्रित आय की क्षति के मद में | 60,80,400/– | 1,13,93,244/– |
| 2. | कंसोर्टियम के मद में | 75,000/– | अपीलार्थी संख्या–1 व 2 प्रत्येक को 40,000/– रुपये, कुल 80,000/– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | अंतिम संस्कार के मद में | 10,000/– | 15,000/– |
| 4. | सम्पदा की हानि के मद में | शून्य | 15,000/– |
| | कुल | 61,65,400/–रुपये | 1,15,03,244/–रुपये |

14. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित पंचाट जिसके द्वारा कि अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को 61,65,400/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 1,15,03,244/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस आदेश द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /55